झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 03.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स0वि0स0	गढ़वा जिला के बरडीह प्रखण्ड (पुराना मझिआँव प्रखण्ड) के अन्तर्गत ग्राम आदर/सेमरी के पास रेलवे लाईन के किनारे बाकी नदी पर पूल का कार्य वर्ष 2006-07 में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई थी कार्य भी प्रारम्भ किया गया है तथा पूल का पिल्लर तैयार है, परन्तु कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है जिससे 50 ग्रामों के जनता का आवागमन बाधित है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि उक्त पूल जो अधूरा है, उसे जनहित में पूर्ण कराया जाय।	ग्रामीण विकास
02-	श्री रामदास सोरेन स0वि0स0 श्री संजीव सरदार स0वि0स0	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला अंचल स्थित मौजा-पावड़ा, खाता संख्या- 274, मौजा धरामबहाल, खाता संख्या- 223, मौजा-सुसनी जोबनी, खाता संख्या- 07, मौजा-नुवागाँव, खाता संख्या- 138, मौजा-येंगजोड़ा खाता संख्या-139, मौजा सोडपूरा, खाता संख्या-83, मौजा-तामुलपाल, मौजा-विक्रमपुर, खाता संख्या-63 आदि भू-अभिलेखों के आधार पर जिला परिषद् पूर्वी सिंहभूम के स्वामित्व की भूमि है।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		तथा उक्त खाता के अन्दर समाहित विभिन्न प्लौटों के किस्म सड़क, पुरानी काबिल आबाद, दो तीन बंगला एवं मकान सहन आदि दर्ज है। यह भू-सम्पत्ति जिला परिषद् पूर्वी सिंहभूम की परिसम्पत्ति है जिसपर सरकार द्वारा खाली पड़ी भू-खण्डों पर स्थाई संरचना का निर्माण कराकर राजस्व संग्रह किया जा सकता है। साथ-ही-साथ अवैध अतिक्रमण से भू-सम्पत्ति को भी बचाई जा सकती है। इस प्रकार जिला परिषद् की भू-सम्पत्ति एवं संरचनाएँ सम्पूर्ण राज्य में अवस्थित है जिसकी जाँच कराई जाने की आवश्यकता है ताकि सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी कि जिला परिषद् की भू-सम्पत्ति की वर्तमान स्थिति क्या है? तथा उसकी उपयोग कैसे की जायें। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान राज्यहित में उक्त मामले पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा।	
03-	**डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0**	झारखण्ड सरकार 14 सितम्बर, 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात् 11 नवम्बर, 2022 को झारखण्ड राज्य के 3.5 करोड़ जनता के हित में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति संबंधित विधेयक अब तक अधिनियम नहीं बन सका और अब तक झारखण्ड राज्य में लागू नहीं हो पाया है, जिसके कारण राज्य में 12 हजार से ज्यादा बहाली रद्द हो गई। साथ ही दिनांक- 16/12/2022 को झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति रद्द किये जाने के कारण 3 लाख 59 हजार से ज्यादा रिक्तियों पर नियुक्ति नहीं हो रहा है? अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से 1932 खतियान अधारित स्थानीयनीति एवं नियोजननीति एवं JSSC स्नातक स्तर परीक्षा संचालन नियमावली लागू कराने की माँग करता हूँ।	**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
04-	**श्री सरयू राय स0वि0स0 श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0 श्री अमित कुमार यादव स0वि0स0**	झारखण्ड सरकार के कार्यपालिका नियमावली के नियम-22(3) और 22(4) के अनुसार सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों का साल में एक बार विभागीय स्थापना समिति द्वारा तय मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति किया जाता हैं। उपर्युक्त स्थापना समिति की अनुशंसा के साथ नियम-22(4) के अनुसार ऐसे पदाधिकारियों जिनके **"वेतनमान का अधिकतम वेतन रू0 4500 से अधिक हो, किन्तु रू0 5000 से कम हो" के स्थानान्तरण/पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव उपर्युक्त स्थापना समिति की अनुशंसा के साथ निम्नलिखित रूप से गठित समिति के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा:-** (1)- मुख्यमंत्री (2)- संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री परन्तु झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग में विगत दो वर्षो में स्थानान्तरण/पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति में कार्यपालिका नियमावली के उपर्युक्त प्रावधान की अवहेलना की गई है और बड़ी संख्या में चिकित्सकों का स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति की गई है। वर्ष में एक बार के बदले कई बार थोक भाव में स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्तियाँ हुई है, जो कार्यपालिका नियमावली के प्रावधान के सर्वथा प्रतिकूल है। स्थानान्तरण, पदस्थापन में स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शक सिद्धान्तों की भी घोर अवहेलना हुई है। हम इस विषय में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है तथा अनियमित स्थानान्तरण/पदस्थान एवं प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाने तथा इसके लिए दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की माँग करते है।	**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण**

01.	02.	03.	04.
05-	**श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0** **श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0** **श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की स0वि0स0**	विदित है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत कई सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों का भवन जर्जर हो गया है, जिससे कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। कई विद्यालयों में चारदीवारी नहीं होने के कारण सुरक्षा एवं अनुशासनात्मक समस्याएँ बनी रहती है। कई विद्यालयों में उपस्करों की कमी के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है इसी प्रकार कई विद्यालयों में चापाकलों एवं बोरिंग के खराब होने के कारण शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है जिससे कीचन तथा शौचालयों के लिए भी समस्या है। अतः वर्णित तथ्यों के त्वरित समाधान के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानआकृष्ट करता हूँ।	**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**

राँची,
दिनांक- 03 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-.....905...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 02/03/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.23
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-.....905...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 02/03/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.23